

मंदिर जीर्णोद्धार रुकवाने से आक्रोशित लोगों ने किया आवासन कार्यालय का घेराव

विधायक अशोक लाहोटी ने कमिश्नर पवन अरोड़ा को ज्ञापन सौंप जताई नाराजगी

— कार्यालय संवाददाता —
जयपुर। एसएफएस मानसरोवर में माली समाज की जमीन पर बने मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर स्थानीय लोगों और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के बीच तनावनी का माहौल बन गया है। बुधवार को सांगानेर विधायक अशोक



सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी (बीच में) के नेतृत्व में लोगों ने आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की।

■ एसएफएस मानसरोवर में माली समाज की निजी जमीन पर बने मंदिर के जीर्णोद्धार को आवासन उपायुक्त द्वारा बंद कराने को लेकर थी नाराजगी

लाहोटी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मानसरोवर जेन कार्यालय पर प्रदर्शन कर हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ आक्रोश जताया। इसके बाद आवासन आयुक्त

पवन अरोड़ा को ज्ञापन भी सौंपा। जिस पर अरोड़ा ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। विधायक अशोक लाहोटी ने बताया कि एसएफएस मानसरोवर में

माली समाज का खुद की निजी जमीन पर मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का एसएफएस विकास समिति व स्थानीय निवासियों द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा था, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के

अधिकारियों ने इस मंदिर को सड़क किनारे बताकर इसका जीर्णोद्धार कार्य रुकवाकर वहां गई बैठा दिया। यही नहीं स्थानीय निवासियों व समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ थाने में

एफआईआर भी दर्ज कराई गई।

विधायक अशोक लाहोटी ने बताया कि बताया कि मंदिर जीर्णोद्धार कर रहे लोगों ने पहले से ही उप आवासन उपायुक्त, मानसरोवर को पुराने मंदिर के फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराया दिए गए थे। इसके बावजूद भी उप आवासन उपायुक्त ने स्थानीय लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करावा दी गई, जो कि हिन्दू समाज की आस्था पर जबरन कुठाराघात है। विधायक अशोक लाहोटी ने बताया कि बताया कि राज्य सरकार के इशारों पर सरकारी एजेंसियों द्वारा जगह-जगह हिंदू मंदिरों के मामले में जो तुष्टिकरण का रवैया अपनाया गया है। उसको हिन्दू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरान नगर निगम जयपुर के चेयरमैन अभय पुरोहित, भारती लखानी, विकास समिति के हरीसिंह नाथान, पूर्व चेयरमैन मुकेश लखानी सहित अनेक लोग उपस्थित थे।

बिना नोटिस तोड़फोड़ मामले में कोटपुतली नगर परिषद ने जवाब पेश किया

यादवेंद्र शर्मा-जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में कोटपुतली शहर में सरदार विद्यालय सड़क को चौड़ा करने की आड़ में कई मकानों व दुकानों को बिना नोटिस दिये तथा बिना आपत्तियां मांगे तोड़-फोड़ करने के मामले में बुधवार को कोटपुतली नगर परिषद की ओर से जवाब पेश किया गया। इस मामले में गत महीने की 27 तारीख को अदालत ने कोटपुतली नगर परिषद से जवाब तलब किया था कि क्या उसने न्याय प्रक्रिया के अनुसार सरदार विद्यालय सड़क को चौड़ा करने से पहले वहां आसपास रह रहे दुकान मालिकों की आपत्तियां सुनकर तथा जमीन अवाप्त करने के बाद ही दुकानों व मकानों को तोड़ने की

■ कोटपुतली नगर परिषद की ओर से हाईकोर्ट में जवाब में कहा कि उनसे 5 जनवरी को आपत्तियां आमंत्रित की थी और अप्रैल में अतिक्रमणों को हटाने का फैसला लिया था, परंतु अपने जवाब में नोटिस और कार्यवाही करने के लिये आयोजित मीटिंग के मिनट्स तथा आदेश के दस्तावेज संलग्न नहीं किये हैं

कार्रवाही को अंजाम दिया है? नगर परिषद ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने 5 जनवरी को सभी जमीन मालिकों तथा दुकानदारों से आपत्तियां आमंत्रित की थी। जवाब में आगे कहा गया है कि अप्रैल महीने में नगर परिषद के अधिकारियों ने फैसला लिया था कि वह अतिक्रमणों को हटायेंगे। उल्लेखनीय है कि

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि नगर परिषद ने किस नोटिस के तहत आपत्तियां आमंत्रित की थी तथा इस संदर्भ में जो फैसला लिया था। उस फैसले तथा मीटिंग के दस्तावेज अपने जवाब के साथ संलग्न नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नगर परिषद में 22 अप्रैल को सामान्य सभा बुलाई थी,

जिसमें तथाकथित रूप से नगर परिषद ने दुकानों और भूखंडों को तोड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने आगे कहा कि इस बैठक की जानकारी किसी भी संबंधित पार्टी को दी गई थी और न ही आपत्तियां सुनी गई थीं। इसीलिये नगर परिषद ने इस बैठक के कोई दस्तावेज जवाब के साथ संलग्न नहीं किये हैं। बुधवार को इस मामले में अदालत में सुनवाई नहीं हो पाई और यह मामला 14 सितम्बर को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध है। अदालत के समक्ष ही बहस के दौरान यह स्पष्ट हो पायेगा कि कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही नगर परिषद ने सभी भू मालिकों और दुकानदारों को नोटिस दिया था और आपत्तियां भी बुलाई थी या नहीं।

नशा मुक्त राजस्थान के लिए तीन अहम निर्णय

जयपुर, (निःसं।) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए अहम निर्णय लिए हैं। उन्होंने प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग रोकने, नशा पीड़ितों के पुनर्वास एवं जनजागरूकता फैलाने सहित विभिन्न कार्यों के लिए 'नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय/आयुक्तालय', 'एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स' (एएनटीएफ) तथा 'एंटी नारकोटिक्स यूनिट' (एएनयू) के गठन हेतु प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। नशे को बढ़ती समस्या को खत्म करने सहित कई कार्यों के लिए 'नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय/आयुक्तालय' का गठन किया जा रहा है। इसमें आयुक्त पदेन शासन सचिव, गृह को नियुक्त किया गया है। इस क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि व मनोचिकित्सक, मनोविज्ञानी आदि को सदस्य के रूप में

नियुक्त किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, आन्वकारी, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पुलिस विभाग, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के अधिकारी/कर्मचारी शामिल किए जाएंगे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में किया गया है। इसमें अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एएनयू को सदस्य सचिव बनाया गया है। इस फोर्स में 10 सदस्य होंगे। वहीं मादक पदार्थों और नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए एसओजी में महानिरीक्षक पुलिस की अध्यक्षता में एंटी नारकोटिक्स यूनिट (एएनयू) का गठन किया जा रहा है। यह मुख्यतः एंटी नारकोटिक्स एनफोर्समेंट का कार्य करेगा।

पीएन भण्डारी की पुस्तक पर चर्चा शनिवार को

जयपुर, (निःसं।) हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में 10 सितम्बर को आरएसईबी के पूर्व अध्यक्ष एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी पीएन भण्डारी द्वारा लिखित पुस्तक 'कमिटेमेंट एण्ड क्रियेटिविटी' पर बुक टॉक का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम एचसीएम रिपा द्वारा आईएएस एसोसिएशन तथा एआईएस पेंशनर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का समय प्रातः 10:45 बजे रहेगा। आईएएस एसोसिएशन की साहित्यिक सचिव मुधुधा सिन्हा ने बताया कि मुख्य सचिव उषा शर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी तथा पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने बताया कि यह बतौर आईएएस लेखक के संस्मरणों पर आधारित पुस्तक है। बुक टॉक में पुस्तक पर विशेष तौर पर सेवानिवृत्त आईएएस बीएल शर्मा चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में आईएएस अधिकारियों के अतिरिक्त साहित्य से जुड़े गणमान्य व्यक्ति भी भाग लेंगे।

ताड़केश्वर मंदिर में पायलट के जन्मदिन पर हवन-पूजन व जलाभिषेक किया

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राजस्थान सरकार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन के अवसर पर जयपुर में गुरुवार को हवन पूजन एवं जलाभिषेक किया गया।

■ सैकड़ों लोगों ने सचिन पायलट के जन्मदिन की मंगल कामना की

जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर सचिन पायलट दीर्घायु, यशस्वी जीवन हो और अपने लक्ष्य में सफल हो इस कामना के साथ विधि विधान से 11 विद्वान पीठियों ने भगवान शिव का वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पंचविधि से शिव अभिषेक किया। इसके पश्चात सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता पं. सुरेश मिश्रा ने सपत्नीक नीलम मिश्रा ने यज्ञ प्रारम्भ किया और भगवान से प्रार्थना की कि सचिन पायलट जीवन में आगे बढ़े।



सचिन पायलट के जन्मदिन पर ताड़केश्वर मंदिर में पं. सुरेश मिश्रा ने सपत्नीक यज्ञ किया।

इस अवसर पर विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन महेश शर्मा, पार्श्वद मुकेश शर्मा, धर्म सिंह सिंघानिया, संस्कृति युवा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गौरव धामणी, सर्व ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव आचार्य पवन शर्मा, उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा,

विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश शर्मा, जयपुर शहर युवाअध्यक्ष अतिकुल शर्मा, दाधीच समाज के अध्यक्ष राघव शर्मा, विजय भास्कर, अशोक शर्मा, विक्रम स्वामी, घोड़ा निकास रोड व्यापार मण्डल के अध्यक्ष गुलाब चंद श्रीमाल,

गायत्री परिवार से रामराय शर्मा, राजेन्द्र जैन, मेघराज शर्मा, दीपक धीर, दीपक गोतवाल, अशोक शर्मा, रोटीर क्लब के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस.पी. कंसल सहित सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत

जयपुर। राजधानी के आदर्श नगर इलाके में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया मृतका आरती हरिजन (23) की करीब आठ माह पहले अर्बू कॉलोनी निवासी तरुण से शादी हुई थी। फिलहाल वह पांच माह की गर्भवती थी। वह ससुराल में तीसरी मंजिल स्थित कमरे में रहती थीं। मंगलवार सुबह उसका शव कमरे के बाहर संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं, मृतका के भाई महेश नगर निवासी राहुल ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है।

सीनियर रेजिडेंटशिप के लिए सेवार्त चिकित्सकों को क्यों माना अपात्र

जयपुर, (कासं।) राजस्थान हाईकोर्ट ने सीनियर रेजिडेंटशिप के लिए सेवार्त चिकित्सकों को अपात्र मानने पर प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा है। जस्टिस महेन्द्र गौयल ने यह आदेश डॉ. जीवन चौधरी व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता तनवीर

अहमद ने बताया कि याचिकाकर्ता सेवार्त चिकित्सक हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए उनका सीनियर रेजिडेंट शिप करना जरूरी है। वहीं राज्य सरकार ने गत 12 जुलाई व बाद में जारी नोटिफिकेशन के आधार पर केवल गैर सेवार्त अभ्यर्थियों को ही सीनियर रेजिडेंटशिप करने के लिए पात्र माना। याचिका में कहा गया कि नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत 14 फरवरी

के परिपत्र के तहत सेवार्त चिकित्सक भी इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा यदि याचिकाकर्ताओं ने सीनियर रेजिडेंट शिप की योग्यता अर्जित नहीं की तो वे असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हो सकेंगे। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।


शांतिर वाहन चोर गिरफ्तार, छह बाइक बरामद

जयपुर। डीएसटी और जवाहर नगर थाना पुलिस ने शांतिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की छह बाइक बरामद की है। पुलिस पृष्ठताछ में आरोपी ने गैस सिलेण्डर चोरी की एक दर्जन वारदात भी कबूली है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पृष्ठताछ कर अन्य जानकारियां जुटा रही है। डीसीपी ईस्ट डॉ. राजीव पचार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शाहिद मोहम्मद उर्फ आमिर (23) रहमान कॉलोनी मानबाग जयसिंहपुरा खोर हाल खानाबंदोश खानिया बंधा गोनेर रोड का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में जवाहर नगर निवासी ब्रजेश कुमार स्वर्णकार ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। जिसमें बताया कि 12 अगस्त को नीलकंठ मेहादेव में पूजा करने के लिए गया था। पीछे से उसकी बाइक चोरी हो गई। इस पर पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों और मुखबिर की सूचना पर आरोपी की पहचान कर शाहिद मोहम्मद उर्फ आमिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके

■ पुलिस पृष्ठताछ में आरोपी ने गैस सिलेण्डर चोरी की एक दर्जन वारदात भी कबूली है।

■ आरोपी से पृष्ठताछ कर अन्य जानकारियां जुटाई जा रही है।

सरस्नेह संस्मरण



श्रीमती रति चतुर्वेदी

(12.1.67 - 6.09.2022)

पुत्री स्व. श्री वाचस्पति शर्मा एवं विमला शर्मा

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है हमारी प्रिय रति चतुर्वेदी का 6 सितम्बर 2022 को स्वर्गवास हो गया है।

वे बेहद दयालु, संवेदनशील किनम्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थीं और खुशनुमा व स्नेह पूर्ण स्वभाव से सभी की प्रिय थीं। काल के क्रूर हाथों ने उन्हें असमय ही हम सबसे छीन लिया। उनके कोमल हृदय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे, जिसमें सभी परिजनों के लिए भरपूर स्नेह था। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे और आपकी यादों को संजोए रखेंगे।

विनय कृष्ण चतुर्वेदी, तुफैल (पति)

श्रीमंत चतुर्वेदी (पुत्र)

शोक संतप्त राष्ट्रदूत परिवार

सार-समाचार

धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर के आदेश
जयपुर, (कासं।) अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-9 महानगर द्वितीय ने पूर्व सैनिक को जान से मारने की धमकी देने वाले शेखावाटी आईवीएफ सेंटर निवासी सर्वेश शरण जोशी के खिलाफ विद्याधर नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश विक्रम महेन्द्र पारीक के परिवार पर दिए। परिवार में कहा गया कि परिवारी गत 26 जून को परिवारिक कार्यक्रम में जाने के लिए अपनी बेटी के साथ फ्लैट से नीचे उतर रहा था। इस दौरान उसके मोबाइल पर सर्वेश शरण का फोन आया। परिवार में कहा गया कि सर्वेश शरण ने परिवारी के साथ गाली गलौच की और जान से मारने की धमकी दी। वहीं घटना के अगले दिन परिवारी घर से बाहर निकला तो कुछ अनजान लोगों ने उसका पीछा किया। परिवार में कहा गया कि डॉ. सर्वेश शरण रिवांकर रहता है और गुंडा किम्म का व्यक्ति है। परिवारी को विश्वास है कि सर्वेश शरण उसे जान से मरवा सकता है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सर्वेश शरण के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा
जयपुर, (कासं।) जिले की पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दो नाबालिगों का अपहरण करने और एक पीडिता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अमित शर्मा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमत कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। सुनवाई के दौरान पीडिता अपने बयानों से पक्षरही हुई हैं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से साबित है कि अभियुक्त ने एक पीडिता के साथ दुष्कर्म किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 4 जून 2020 को पीडित पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

ई-मेल से नोटिस तामील के आदेश
जयपुर, (कासं।) राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2021 के विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में कहा है कि एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे अभ्यर्थियों पर आरपीएससी ई-मेल के जरिए नोटिस तामील कराए। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश आरपीएससी की अपील पर दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने हाईकोर्ट में भर्ती से जुड़े मुकदमों की संख्या पर भी चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि विभिन्न भर्तियों से जुड़े याचिकाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए लगता है कि अब अलग से विशेष बेंच गठित करनी पड़ेगी।

छेड़छाड़ करने वाले पिता को सजा
जयपुर, (कासं।) जिले की पाँक्सो अदालत ने दस साल की बेटी से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त पिता को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 53 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता की मां ने 25 मई 2019 को कोटपुतली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

वांछित अपराधी पर इनाम की घोषणा
जयपुर। माणक चौक थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में वांछित चल रहे अपराधी पर तीन हजार रुपए इनाम की घोषणा की गई है। डीसीपी नार्थ परिस देशमुख ने बताया धोखाधड़ी के मामले में वांछित आरोपी पराग अग्रवाल निवासी शांति नगर वारदात के बाद से फरार चल रहा है। काफी प्रयासों के बावजूद भी अभी तक आरोपित नहीं मिला है। आरोपी पराग अग्रवाल की सही सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति को तीन हजार रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार वितरण के संबंध में अन्तिम निर्णय पुलिस उपायुक्त उरजर जयपुर का होगा।

विवाहिता ने की आत्महत्या
जयपुर। राजधानी के बजाज नगर इलाके में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई ने उसके पति और जेट पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया मृतका अंजू रेवाडिया (35) की करीब 10 साल पहले बरत नगर निवासी डॉ. अजीत से शादी हुई थी। दोनों की सात साल की बच्ची है। 5 सितंबर की रात अंजू ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां कुछ घंटे बाद ही इलाज के दौरान अंजू की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। मृतका के भाई इंद्र कुमार का आरोप है कि डॉ. अजीत के उसकी धांधली से अशुभ संबंध थे, जिसकी वजह से अजीत और उसके भाई प्रह्लाद ने अंजू को प्रताड़ित किया। इससे तंग आकर अंजू ने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले दर्ज कर जांच में जुटी है।

बस पलटने से एक दर्जन लोग घायल
जयपुर। बस्ती थाना इलाके में सुबह सवारियों से भरी बस असंतुलित होकर पलट गई। बस में सवार 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। छह गंभीर घायलों को एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बस पलटने की सूचना पर खो नागोरियान थाना पुलिस, ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस और बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि लालसोट से जयपुर आ रही बस में करीब 30 से अधिक लोग सवार थे। आगरा रोड पर खानिया के पास बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। इस दौरान बस में सवार एक दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आईं। छह घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनकी हालत खतरों से बाहर है। वहीं, छह गंभीर घायलों को 108 की मदद से एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि खानिया के पास से बस निकल रही थी इसी दौरान एकाएक बस चालक ने बस को डिवाइडर पर चढ़ा दिया।